न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 358 वर्ष 2022

आवेदक– गणेश महतो वेगै0		क्रेता– प्रमिला देवी	
ग्राम – चैनपुर	टोला–सुईयाडीह	ग्राम –दुर्गापुर	टोला–डुण्डाडीह
थाना – कसमार	जिला–बोकारो	थाना – कसमार	जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03

C.C Issued 23/09/23

आदेश

यह वाद आवेदक– गणेश महतो पिता स्व0 मोहर महतो 02. विशेश्वर महतो 03. भगवती महतो दोनों पिता स्व0 सावन महतो ग्राम चैनपुर टोला सुईयाडीह थाना–कसमार जिला–बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1),(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
दुर्गापुर	108	31	681	39¾ डी0	19.875 डी0	टाँड–दो
			693	06 डी0	03 डी0	परती कदीम
			555	¼ डी0	0.25 डी0	परती कदीम
कुल योग					23.125 डी0	

को वे अपनी बिमारी के ईलाज खर्च एवं आवश्यक पारिवारीक खर्च हेतु मो0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रूपये में क्रेता प्रमिला देवी पति चकेश्वर महतो ग्राम दुर्गापुर टोला–डुन्डाडीह थाना–कसमार जिला –बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 77/रा0 दिनांक 02.02.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, कसमार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, कसमार के पत्रांक 432/ दिनांक 22.08.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेतागण एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता ग्राम चैनपुर थाना कसमार एवं क्रेता ग्राम दुर्गापुर थाना–कसमार जिला–बोकारो का मूल एवं वर्तमान निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि मौजा दुर्गापुर खाता न0 31 सर्वे खतियान में गनशु महतो के नाम से दर्ज है तथा उसकी दादी भुलिया देवी पति मोहर महतो वेगै0 के नाम निबंधित केवाला से हासिल है एवं उसकी जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ठ सं0 57/I पर बिक्रेता की माँ/दादी कमली देवी के नाम से दर्ज है एवं वर्ष 2023–2024 तक सरकारी लगान रसीद निर्गत है।
03. घरेलू बँटवारा के आधार पर बिक्री वाली जमीन बिक्रेतागण के अंश की जमीन है, जिसपर उसका दखल–कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, अधिग्रहण क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेतागण द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनकी माँ/दादी भुलिया देवी वेगै0 के नाम निबंधित

केवाला से क्रय की हुई जमीन है जो घरेलू बँटवारा के तहत उसे प्राप्त है। उसका लगान रसीद उसकी माँ/दादी के नाम से निर्गत होता है। उक्त जमीन को वे आवश्यकता वश अंश के साथ बिक्री कर रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देख लिया है। उक्त जमीन विवादित नहीं है, तथा वर्तमान में बिक्रेता के दखल कब्जे में है।

उभय पक्षों के द्वारां निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया–

01. बिक्रेता– कमली देवी व भुलिया देवी वेगै0 के नाम निबंधित केवाला सं0 2743 दिनांक 26.06.1947, सरकारी लगान रसीद स्वयं के नाम जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– स्वयं के नाम जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता माँ/दादी कमली देवी एवं अन्य के नाम निबंधित केवाला से हासिल है एवं घरेलू बँटवारा के आधार पर उसके अंश की जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

अतः आवेदक– गणेश महतो पिता स्व0 मोहर महतो 02. विशेश्वर महतो 03. भगवती महतो दोनों पिता स्व0 सावन महतो ग्राम चैनपुर टोला सुईयाडीह थाना–कसमार, जिला– बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
दुर्गापुर 108	31	681	39¾ डी0	19.875 डी0	कडरू माँझी	परमेश्वर महतो	पुशा महतो	श्यामपद महतो वेगै0
		693	06 डी0	03 डी0	कडरू माँझी	तुलेश्वरी देवी	पुशा महतो	श्यामपद महतो
		555	¼ डी0	0.25 डी0	सोहराय महतो	गोवर्धन महतो	भुनेश्वर महतो	परती कदीम
			कुल योग	23.125 डी0	(तेइस दशमलव एक दो पाँच) डीस्मिल मात्र			

मो0 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता–प्रमिला देवी पति चकेश्वर महतो ग्राम दुर्गापुर टोला–डुन्डाडीह थाना–कसमार जिला –बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.09 11:42:51 +05:30
Location: 192.168.1.3